



(64)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल जिला ग्वालियर (म.प्र.)

अपील प्रकरण क्रमांक-...../2018

क्रमांक-3666/2018/ग्वालीयर/भू.२५

1. मोहम्मद नासिर पुत्र श्री सैयद
मजहर अली आयु लगभग 50 वर्ष
निवासी म.नं. 116, हसनात नगर,
पॉलीटेक्निक वार्ड नं. 26 तहसील
हुजूर जिला भोपाल
*क्रमांक ६७ अग्रिमा४५
स्त्री भोगेश लोनी
द्वादश अप्रैल
१५ में पहुंचा।*
३०.५.१८
2. मोहम्मद सलीम पुत्र श्री सैयद
मजहर अली आयु लगभग 40 वर्ष
निवासी म.नं. 118, हसनात नगर,
बाणगंगा तहसील हुजूर जिला
भोपाल
3. श्रीमती निगहत सुल्तान पत्नि श्री
नादिर खान आयु लगभग 38 वर्ष
निवासी म.नं. 12 न्यू सुभाष नगर
केपीटल पेट्रोल पंप गोविन्दपुरा
तहसील हुजूर जिला भोपाल -- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

- ✓ 1. शेख दुलारे आ. श्री शेख चांद आयु
वयरक निवासी ग्राम समदगढ़
तहसील हुजूर जिला भोपाल
2. मुशाहिद मो. खान आ. महसूद मो.
खान आयु वयरक, निवासी-डी-०१
न्यू औकाफ कालोनी बाणगंगा
फरहत अफजा तहसील हुजूर जिला
भोपाल म.प्र.

[Signature]

[Signature]

3. विजय खण्डेलवाल आयु दर्यरक
आ. स्व. श्री रतनलाल खण्डेलवाल
निवासी-66, पत्रकार कालोनी ठी.
ठी. नगर भोपाल
4. आमिर शाह पुत्र री अकबर शाह
आयु लगभग 28 वर्ष
5. करीम शाह पुत्र अकबर शाह आयु
लगभग 26 वर्ष
6. समन पुत्री अकबर शाह आयु
लगभग 24 वर्ष
उपरोक्त क्रं-4 से 6 तक
निवासीगण म.नं. 12 न्यू सुभाष
नगर केपीटल पेट्रोल पंप गोविन्दपुरा
तहसील हुजूर जिला भोपाल -- प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता-1959

पुनरीक्षण ज्ञापन


अधीनस्थ न्यायालय अनुतिवभागीय अधिकारी तहसील
हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्र.क्रं. 217/अप्रैल/16-17
पक्षकार मोहम्मद नासिर व अन्य विलङ्घ शेख दुलारे व अन्य
में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 से क्षुब्ध होकर
निम्नलिखित आधारों पर वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन पत्र
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

भाष्ट शूलस्त्र

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3666/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-12-2018	<p>आवेदक पक्ष की ओर से श्री योगेश सोनी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2, 3, 4, 5 व 6 सूचना उपरांत भी अनुपस्थित । अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । अनावेदक क्रमांक 1 पूर्व से एकपक्षीय है । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है । आवेदक कलेक्टर के समक्ष दिनांक 30-1-2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो ।</p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गोयल)</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> <p style="text-align: center;"></p>	